

SEM-II

राज्यपालन द्वितीय अध्याय

PLSA-CC-3

(१०० अंकों वाले) MARKS - 10

MOD - 2

अनुविधान राज्यपालक कार्यादि विषये द्वितीय अध्याय  
अनुविधान अनुच्छेद ६४ का अन्वय है। अनुच्छेद ६४ का अर्थ है कि राज्यपाल  
अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल  
२७२(२), ७१२(२), ७२(क)-२ तथा २ नं० विधायक-वर्गित अध्याय  
निम्न विवरण अनुसूची प्रमाण करात पावतन। अनुच्छेद ६४  
कार्यक्रम ३ अर्थ अध्याय अनुसूचित राज्यकर कथा बाले है। निर्धारित  
विषयसम्बन्धित राज्यपाल द्वितीय अध्याय प्रमाण करात पावतन-

(२) अथवा अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये -  
- अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये (२७२-२) तथा  
राज्यपालक कार्यादि विषये अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये  
विवरण अनुसूची प्रमाण करात पावतन।

(२) ७१२(क) नं० विधायक अनुसूची अनुसूची, अनुसूचित वर्गित अध्याय  
अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये  
अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये

(७) अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय  
अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये

(८) अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय  
अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये

(९) अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय अनुसूचित वर्गित अध्याय  
अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये अनुच्छेद ६४ के अन्वय में राज्यपालक कार्यादि विषये

SEM-II  
PLSA-CC-3  
MOD-2

রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স করণের ক্ষমতা  
(১০০ শব্দের মধ্যে) Marks - 10

প্রলয়বিধানে রাজ্যপালকে অর্ডিন্যান্স করণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যেহেতু রাজ্য আইনসভার কোন অধিবেশন থাকে না, তখন আইন প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক দূর করার জন্য রাজ্যপালের হাতে এই ক্ষমতা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সকল বিষয়ে আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারবে, রাজ্যপাল সেই সকল বিষয়ে অর্ডিন্যান্স করণ করতে পারবেন। এই অর্ডিন্যান্স আইনের আওতাধীন প্রয়োজন। রাজ্যপাল এই অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করতে পারবেন। প্রলয়বিধানে অনুষ্ঠান এই অর্ডিন্যান্স রাজ্য আইনসভার অধিবেশন শুরু হবার পর প্রথম পেশা করতে হয়। অধিবেশন শুরু হবার পর দু'বস্তার মধ্যে যদি এই অর্ডিন্যান্স আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহলে এই অর্ডিন্যান্স দু'বস্তার পর পর বাতিল বলে জান্য হবে। এর কারণে বিষয়ে অর্ডিন্যান্স ঘোষণার আগে প্রার্থনার প্রার্থনা প্রয়োজনীয় হয়। অর্ডিন্যান্স ঘোষণার আগে রাজ্যপালের নিজস্ব এবং স্বাক্ষরিত আদেশ প্রদান করতে হয়। তবে যেহেতু প্রথম প্রস্তাবনা করতে পারবে। অর্ডিন্যান্স করণের ক্ষমতা প্রণয়নের আওতাধীন রাজ্য প্রকল্পকে রাজ্যপাল সীমিত ক্ষমতা পারবেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও সন্দর্ভসূচী : (Marks - 15)

উদ্দেশ্য প্রকৃত : রাজ্যপাল কে? — তার প্রায়শ্চিত্তবলী — প্রলয়বিধানে প্রদত্ত তার প্রসাধনিক, আইনগত, আর্থিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা — সন্দর্ভসূচীর মধ্যে ২টি দিন

दिक श्राक आलोचना करात शर- ② निरुत्पादिक  
प्रश्न ७ अन्यायिक प्रकृतीन ७ अरुची-विशयक अरुतर-  
आशिकारी।

उत्प्रेरणा-तिन प्रकृत अरुतर आशिकारी किरा ?  
अर माध्यायान निरुत्पादिक अर विरुत्पादिक अरुतर- तिन अरुत्पादिक  
अरुत्पादिक अरुतर ? अरुत्पादिक अरुत्पादिक, अरुत्पादिक अरुत्पादिक अरुत्पादिक ?

Ref: अरुत्पादिक अरुत्पादिक अरुत्पादिक - अरुत्पादिक अरुत्पादिक  
अरुत्पादिक ७ अरुत्पादिक  
अरुत्पादिक।

अरुत्पादिक अरुत्पादिक ७ अरुत्पादिक - अरुत्पादिक अरुत्पादिक अरुत्पादिक

(STUDY MATERIAL GIVEN IN W'APP GROUP)